


रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

संशोधन जी

निर्देशन है कि चार्जी शवातदा (जं.सं. 2071-74  
खं.सं. 184, खं.सं. 451)


वागोर I की खं.सं. 451 में गोपाल कृष्ण अंकित है जो 2075-78 में से 2011  
के वस्तु कृष्ण व गोपाल अलग-2 दर्ज हो गया है जबकि चार्जी एक ही है किन्तु  
चार्जी के समस्त दस्तावेज गोपाल लाल टेलर पिं सुवालाल इजी के नाम से  
है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में कृष्ण को हटाकर केवल गोपाल  
लाल टेलर पिं सुवालाल टेलर दर्ज किया जाना उचित होगा।  
रिपोर्ट साकर पेश है।  
रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार वागोर  
20/10/2021.

रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर जं.सं. से चार्जी का नाम  
शुद्ध किया उचित है। रिपोर्ट पेश है।

  
N.T. वागोर  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
जिला भीलवाड़ा

आदेश  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के अनुसार शवातदा सं. 184 में  
अगराजा सं. 451 में गोपाल कृष्ण अंकित है। राजस्व रिकार्ड  
में नाम संशोधन हेतु कृष्ण के बजाय गोपाल लाल पिं  
सुवालाल टेलर किये जाने का आदेश दिया जाता है।

  
डॉ. P. सिंह  
उपखण्ड वागोरी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021